रजिस्ट्री सं० डी०ए ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2377] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 2377] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

का.आ. 2607(अ).—जबकि, यह केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया है कि पशुओं, खाद्य उत्पादक पशुओं, कुक्कुट, जल कृषि और पशुचारा अनुपूरक आहार में कोलिस्टिन और इसकी विनिर्मितियाँ का उपयोग मनुष्य के लिए हानिकारक है;

और जबकि, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने उक्त मामले पर विचार किया है और खाद्य उत्पादक पशुओं, कुक्कुट, जल कृषि और पशुचारा अनुपूरक आहार के लिए उक्त ओषधि और इसकी विनिर्मितियाँ को निषिद्ध करने की सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार का समाधान है कि खाद्य उत्पादक पशुओं, कुक्कुट, जल कृषि और पशुचारा अनुपूरक आहार के लिए उक्त ओषधि और इसकी विनिर्मितियाँ के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को लोकहित में निषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

(क) निम्नलिखित ओषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध करती है, अर्थात्:-

“खाद्य उत्पादक पशुओं, कुक्कुट, जल कृषि और पशुचारा अनुपूरक आहार के लिए कोलिस्टिन और इसकी विनिर्मितियाँ” और

(ख) निदेश देती है कि कोलिस्टिन और इसकी विनिर्मितियाँ के विनिर्माता इस ओषधि के आधान पर लेबल लगाएंगे और उक्त ओषधि और इसकी विनिर्मितियाँ के पैकेज़ के निर्विष्ट में और प्रोत्साहनपरक साहित्य में स्पष्ट रीति से “खाद्य उत्पादक पशुओं, कुक्कुट, जल-कृषि और पशुचारा अनुपूरक आहार में उपयोग के लिए नहीं” शब्दों का उल्लेख करेंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/8/2019-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2019

S.O. 2607(E).—Whereas, it is brought to the notice of the Central Government that the use of the drug Colistin and its formulations for food producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements is likely to involve risk to human beings;

And whereas, the Drugs Technical Advisory Board has considered the said matter and recommended for prohibiting the said drug and its formulations for food producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements;

And whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the manufacture, sale and distribution of the drug Colistin and its formulations for food producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby—

(a) prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug with immediate effect, namely:—

“Colistin and its formulations for food producing animals, poultry, aqua farming and animal feed supplements”; and

(b) directs that the manufacturer of Colistin and its formulations shall label the container of the drug and mention the words “NOT TO BE USED IN FOOD PRODUCING ANIMALS, POULTRY, AQUA FARMING AND ANIMAL FEED SUPPLEMENTS” in conspicuous manner on the package insert and promotional literature of the said drug and its formulations.

[F. No. X. 11014/8/2019-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.19 22:32:55 +05'30'